

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ग्रन्थालय एवं कूलपत्रक जीवाजी
विश्वविद्यालय के राज ही में किए जाने व
हो सकते अब प्रतिवर्षी के बाज हो।
सम्बद्धता देखते हैं तो उन्हें यह में प्र
वाचन कुछ ही तो यह समाप्त हो देखना
करते हैं कि वह उन्हें अनियत हो।



मात्र : जूनीजीवाजी
फ़ॉरम : (0751) 2347895
(0751) 2422229
फ़ॉक्स : (0751) 2347765

प्रेषक :

जूलाइवर,
जीवाजी विश्वविद्यालय
नगरीयकाल

ठान्डामार्क/एफ/लक्ष्मीनगर-2012/5427

दिनांक: 26/11/12

// दूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सचिव श्री वैष्णव गोपेश आर्पण एज्युकेशन, ग्वालियर (0751-2568354) को
उम्मीद 2011-12 के लिये प्रस्तावित लंबालित बीए, पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु
अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये ग्राहकीय कूलपत्रि गढोड़ या राजीवी राजीवी, जीवाजी विश्वविद्यालय, नगरीयकाल वे
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अनुरूप विभागानुसार विरीकण समिति का गठन किया है।

- (1) प्रो. विकेंद्र यादव, अधार्य, समाजकार्य एवं आर्जीवा शिक्षा अध्यवशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
- (0751-2442822)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधार्य, रसायन अध्यवशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.डी. विश्वासीया, उपाधार्य, पुरातत्व अध्यवशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीकण समिति के सदस्यों से अनुरोद है कि वे यसियम 27/28 के पाठ्यक्रमों के अनुरूप समाजिकालय का प्रत्यक्ष
विरीकण एवं शुल्क, घरेहर लाशि, जॉकिं शैक्षणिक-अधीकारिक स्टॉफ, पाठ्यक्रम सत्या से प्राप्त अनुशासी-अनापत्रित प्राप्त-पत्र,
भाल, लीड्स परिदृश्य एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेश तथा पिछले सब ने दी गई शर्तों की पूर्ति नये प्रकाश पत्र की ताता
प्राप्तार्थीकारिक एवं अधीकारिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में साफ तिरहण अनुशंसाएँ अंतिम
करें।

वायी उपर्युक्त की बैठक विनांक 26 दिसंबर 2012 के पद क्रमांक 60 (आ-आ-2) पर लिये गये विभागानुसार विरीकण
समिति द्वारा 30 दिन ग्राहकीयता का विरीकण कर 15 दिवस ग्राहकीयता का विरीकण प्रतिवेदन प्राप्त
विद्या जारी। यिन्होंने कि सम्पूर्ण जारीगाही (विभागालय विरीकण की) 45 दिवस ग्राहकीयता का
विभागालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब वर्द्धी होना एवं यथा समय सम्बद्धता संघर्षी जारीगाही पूर्ण हो
खोल्नी तथा शासन के विरोधों का पालन द्विविधित लिया जा रखेगा।

जनर के 45 दिवस ग्राहकीयता का विरीकण कर 15 दिवस ग्राहकीयता का विरीकण नहीं हुआ
है। विभागानुसार विभागालय कर्तव्य विभागी विभागी विभागी। यिन्होंने 15 दिवस ग्राहकीयता का विरीकण रिपोर्ट प्राप्त
करना अविभागी होना। परिवियम 27(1)(7) के अनुरूप सम्बद्धता प्राप्त विवर विभागी को प्रोवेश देवा अवैधानिक है।

विरीकण समिति के लाय सम्बद्धता शास्त्र में जर्नल अधीकारक, कार्यालय संसाधक प्राकारी लेकर जारी हो तथा
महाविद्यालय की नस्तुस्थिति से विरीकण समिति को अवगत करावें। विरीकण समिति के सदस्यों को दी ए श्री ए। मालदेव
महाविद्यालय द्वारा देवा होना।

कूलपत्रक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों को ओट सुचवार्च एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राप्तार्थी/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओट भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर
विरीकण विधीनित कर महाविद्यालय का विरीकण करावें। उक्त विरीकण 15 दिवस के अन्दर करावे की
व्याप्ति हो।
3. अनुकूल उच्च विभाग, विभागी विभागी, विभागी
4. कूलपत्रि के सचिव, कूलसचिव के लिये सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर